

कार्यालय, आमुकत, उच्च शिक्षा  
ब्लॉक-सी-30 द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रवती मवन,  
नया रायपुर(छ.ग.)

क्रमांक/ ४५६ ३८ /आठशि/ समन्वय/ 2017

—00—

रायपुर, दिनांक ०२/०६/२०१७

प्रति,

१. कुल संचित  
समस्त विश्वविद्यालय,  
छत्तीसगढ़।
२. प्राचार्य,  
समस्त अध्यार्थी महाविद्यालय,  
छत्तीसगढ़।



विषय :— छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2017-18 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका  
सिद्धांत।

संदर्भ :— अवर संचित छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ १७-९५/  
२०१७ / ३८-२ नया रायपुर, दिनांक 29.05.2017

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा  
छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2017-18 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये  
हैं। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2017-18 की प्रति संलग्न कार प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की  
चायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2017-18 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन  
करना सुनिश्चित करावे।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

(डॉ. किरण गजपात)

संयुक्त सचालक

उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक ०२/०६/२०१७

पृष्ठक्रमांक/ ४५६ ३८ /आठशि/ समन्वय/ 2017

प्रतिलिपि :—

१. अवर संचित छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूखनार्थ।
२. सीत्रीय अपर सचालक, सीत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा विभागपुर/जगदलपुर/अशिकापुर की ओर  
सूखनार्थ।

(२)  
संयुक्त सचालक  
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

PRINCIPAL  
Government Mahatma Gandhi P.G.  
College Kharsa, DSS-2, Jash (C.C.)



चत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालयः  
महानदी भवन, नया रायपुर

-----00-----

~~क्रमांक~~ एफ 17-95/2017/38-2  
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 29 MAY 2017

आयुक्त,  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
इंद्रावती भवन,  
नया रायपुर।

विषयः— छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2017-18 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत।

संदर्भः— आपका प्रस्ताव क्रमांक 68/आउशि/समन्वय/2017  
-----00-----

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए शैक्षणिक सत्र 2017-18 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

*(नलिनी गाढ़ुर)*  
(अवर सचिव)

छोटगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग  
नया रायपुर, दिनांक 29 MAY 2017

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 17-9522017/38-2

प्रतिलिपि—

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. निज सचिव, संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.।
5. गार्ड फाईल।

*(अवर सचिव)*  
अवर सचिव

*CV*  
Government of  
Chhattisgarh  
College Kharial, Dantewada  
PRINCIPAL



- 12.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।
12. आरक्षण—छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-
- 12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :-
- (क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
  - (ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
  - (ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी।

परन्तु जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत कम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

- परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।
- 12.2 (1) बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उद्धार्घर (वटीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।  
 (2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षेत्रिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उद्धार्घर आरक्षण के भीतर होगा।
- 12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के प्राप्ताकां को 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।
- 12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।
- 12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेंगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे— स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें



कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राच्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अंग्रेज़ित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अंग्रेज़ित करेंगे।

#### 16. विशेष :-

- 16.1 जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपरिधित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कड़िका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अंग्रेजित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

PRINCIPAL  
Government Mahatma Gandhi P.G.  
College Khurda, Odisha (C.G.)

(डॉ. किरण गजपाल)

संयुक्त संचालक  
उच्च शिक्षा संचालनालय  
नया रायपुर (छ.ग.)